

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2020

No. 13/2020–Central Tax

G.S.R. 196(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (4) of rule 48 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017(hereinafter referred as said rules), the Government on the recommendations of the Council, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. 70/2019 – Central Tax, dated the 13th December, 2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 926 (E), dated the 13th December, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, hereby notifies registered person, other than those referred to in sub-rules (2), (3), (4) and (4A) of rule 54 of the said rules, whose aggregate turnover in a financial year exceeds one hundred crore rupees, as a class of registered person who shall prepare invoice and other prescribed documents, in terms of sub-rule (4) of rule 48 of the said rules in respect of supply of goods or services or both to a registered person.

2. This notification shall come into force from the 1st October, 2020.

[F. No. 20/06/03/2020-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2020

सं. 14/2020-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 197(अ).—सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात्, उक्त नियम कहा गया है) के नियम 46 के छठे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 928 (अ), तारीख 13 दिसंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 72/2019-केन्द्रीय कर, तारीख 13 दिसंबर, 2019 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, अधिसूचित करती है कि यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उक्त नियमों के नियम 54 के उपनियम (2), (3), (4) और (4क) में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति और एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 14 में निर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से भिन्न, की एक वित्तीय वर्ष में आवर्त पांच सौ करोड़ रुपए से अधिक हो तो उसके द्वारा किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् बी2सी कहा गया है) को जारी बीजक पर गत्यात्मक त्वरित प्रत्युत्तर (क्यू आर) कोड होगा :

परंतु जहां ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति किसी डिजिटल डिस्प्ले के माध्यम से प्रापक को गत्यात्मक त्वरित प्रत्युत्तर (क्यू आर) कोड उपलब्ध कराता है, जिस गत्यात्मक त्वरित प्रत्युत्तर में भुगतान का प्रतिसंदर्भ अंतर्विष्ट है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा जारी ऐसा बी2सी बीजक, को गत्यात्मक त्वरित प्रत्युत्तर रखने वाला समझा जाएगा ।

2. यह अधिसूचना 1 अक्तूबर, 2020 को प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 20/06/03/2020-जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक